निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

इजलास श्री दिनेश कुमार मन्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या– 19/2013 दिनांक:–10/10/17

अनुवान

1– हरचंद पिता कचरिया जाति मीणा निवासी साकरिया तह0 छोटीसादडी
––– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– घीसालाल पिता मथुरालाल जी जाति नाई निवासी छोटीसादडी तह0 छोटीसादडी

2– राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी राज0 ––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0टी0एक्ट

:: निर्णय ::

1–– यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी मौजा साकरिया प0ह0 जलोदिया केलुखेडा तह0 छोटीसादडी में स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 213 रकबा 0.87 हैक्टेयर स्थित हैं।
2–– यह कि प्रार्थी की आराजी कमांक 213 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने उक्त दोनों की आराजीयों पर पिछले 50 साल से अधिक समय से विपक्षी की आराजी नम्बर 201 रकबा 0.41 हैक्टेयर के उत्तरी दिशा की ओर बनी मेड पर होते हुये आते जाते रहे हैं तथा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते रहे हैं।
3–– यह कि प्रार्थी की आराजीयात कमांक 213 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर पहूंचने के लिऐ विपक्षी की आराजी के उत्तरी दिशा की ओर स्थित रास्ते के अलावा और कोई रास्ता रिकार्डेड मौजूद नहीं हैं यदि रास्ता कायम नहीं किया गया तो प्रार्थी अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगा। जिससे राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये जिससे दिनांक 26–03–2015 को विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादडी को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीदार छोटीसादडी की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें पटवारी हल्का जलोदिया केलुखेडा ने अंकित किया कि आ0नं0 213 पर गांव से बिलानाम रास्ता आराजी नं0 200 से होता हुआ आ0नं0 201 के उत्तरी मेड के पास होता हुआ प्रार्थी हरचंद पिता कचरू मीणा आता जाता हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट वास्ते कायमी रास्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साक्ष्य एवं पटवार हल्का कि रिपोर्ट से यह जाहिर होता हैं कि पूर्व में विपक्षी की आराजी की उत्तरी दिशा की मेड पर रास्ता था तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता पटवारी हल्का द्वारा नहीं दर्शाया हैं यदि प्रार्थी को रास्ते की भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई तो उसकी

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध मौजा सांकरिया प0ह0 जलोदिया केलुखेडा तह0 छोटीसादडी के आराजी 213 पर आने जाने हेतु पूर्वतः चालू रास्ते को विपक्षी के खातेदारी भूमि आराजी नं0 201 में से 5 मीटर चौडाई जिसकी कुल लम्बाई 50 मीटर बनती हैं में उक्त आराजी के उत्तरी दिशा की ओर मेड से लगता हुआ रास्ता कायम किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी से डी0एल0सी की राशि कि दो गुनी राशि वसूल की जाकर जरिये चालान जमा करा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। तहसीलदार मौके पर जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 15/12/17 तक पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10-10-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ